रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 232] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 7, 1972/भाद्र 16, 1894
No. 232] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 7, 1972/BHADRA 16, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

**(Department of Labour and Employment)**

NOTIFICATION

*New Delhi, the 7th September* 1972

**G.S.R. 403(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 5D of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby directs that pending the framing of discipline, control and appeal rules for the Central Provident Fund Commissioner, Deputy Provident Fund Commissioners and Regional Provident Fund Commissioners, the matters concerning the aforementioned officers in regard to discipline, control and appeal shall be regulated, *mutatis mutandis*, in accordance with the relevant provisions contained in the Employees' Provident Fund Staff (Classification, Control and Appeal) Rules, 1971.

[No. 48(23)/66-PF.I.]

P. M. NAYAK, Secy.

## श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

### (श्रम और रोजगार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1972

**सा० का० नि०** 403 (अ).—कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1972 का 19) की धारा 5-घ की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त भविष्य-निधि उपायुक्तों और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के लिए अनुशासन, नियंत्रण और अपील नियमों के बनाए जाने तक अनुशासन, नियंत्रण और अपील के बारे में पूर्ववर्णित प्राधिकारियों से सम्बन्धित मामले, यथावश्यक परिवर्तन सहित कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारिवृन्द (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1971 में अन्तर्विष्ट सुसंगत उपबन्धों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे ।

[संख्या 48/23/66-पी०एफ-I]

पी० एम० नायक, सचिव, ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972